

4.9.18

मू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

पत्रावली वास्तु (आदेशा स्वगत पेरा हुई) अपीलानं
(अभिवाचन उपस्थित) आदेशा सुनाये जाने से पूर्व ही
स्वयं शर्मा द्वारा वैकल्पिक शर्मा - फल पेरा किया गया
किन्तु (आवाज लगवाये जाने पर उपस्थित नहीं आये)
(अनः आगाबी पेरी दिनांक 18.9.18 तब बाद में गठित
विवादित आराजी सं. नं. 392 रकबा 0.25 है, 385
रकबा 0.13 है। स्व. नं. 1326/358 रकबा 0.14 है।
ठाठे माग राजवाडा, त. मुण्डावर का क्या न करती है
(आदेशा दिये जाते हैं) तबत अदालत की पत्रावली
तलब की जावे। वैकल्पिक को मोदिस जारी किये जाकर
पत्रावली दिनांक 18.9.18 को पेरा हो।

1392
10.9.2018
1415-16
18.9.2018

मू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

18/9/18

पत्रावली पेरा हुई / अपीलानं 2 एवं रेस्पोंस सं. 01
मे प्रांपत्र पेरा कर निवेदन किया है कि हम
में खण नं. 1326/358 रकबा 0.14 हे वोकेंद्राम
राजवाडा तह. मुण्डावर की काका मह राजीनामा हो
गया है कि इस खण नं. को रेस्पोंस लिह केच
सकता है। इसलिये इस खण नं. से स्वगान हटा
दिमा जावे तथा शेष खण नं. की काका स्वगान रखा जावे / रणसिंह
हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा
प्रांपत्र के साथ संलग्न राजीनामा पर गौर
किया / चूंकि दोनों ही खण खण नं. 1326/358
से स्वगान हटवाने हेतु सहमत है (अनः
न्यायदिवस में अदालत हाजा द्वारा जारी
स्वगान आदेशा दि. 4.9.18 में आण खण नं.

सुशीला
18.9.18


मू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील 3

अलवर [राज०]

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही

1326/358 रकबा 0.14 हे० काँक गाम
 राजवाड़ा रू० मुण्डावर पर से केकेर किया
 जाता है, शेष रक० नम्बरों की वाकफ
 जारी स्वगाय की उन्नधि ब्रह्म बाद
 के निर्णय तक बहाई जाती है इस प्रकार
 उनाकि राजीनामा पत्रावली स्वीकार का फैसला
 शमर की जाती है।



मू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
 राजस्व अपील अधिकारी, अलवर